ऑन लाईन नं. GCMS 2022/321

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रीना, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 42/2022

श्री जीत सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री साजन सचदेवा पुत्र श्री जुगल किशोर —खाद्यकारोबरकर्ता व मालिक—
   मै. सचदेवा कैन्टीन, बस स्टेण्ड, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय **दिनांकः 31.01.2025**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 26.07.2011 के गजट में भाग 2 (क) पर प्रकाशित हुआ है एवं संसोधित गजट दिनांक 25.08.2011 को प्रकाशित कर किया गया है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुत (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश कमांक – खाद्य सुरक्षा / निदे०/2022/337 दिनांक 20.04.2022 के अनुसार जिला श्री गंगानगर किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियों न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.10.2022 को समय दोपहर 12.30 बजे को **मैसर्स साचन सचदेवा, बस स्टेण्ड श्री गंगानगर** पर पहुँचा, मोके पर विक्रेता **श्री साजन सचदेवा पुत्र श्री जुगल किशोर** को अपना परिचय दे कर दुकान पर रखे **बूंदी बेसन लड्डू (वनस्पति घी में निर्मित)** के बारे में जानकारी चाही इस पर विक्रेता ने स्वंय को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान पर रखे एल्यूमिनियम ट्रे पर करीब 18 किलोग्राम **बूंदी बेसन लड्डू (वनस्पति घी में निर्मित)** को आमजन में बेचान वास्ते बतया जिनमें मिलावट का शक होने पर विकेता से मूल 2 किलोग्राम **बूंदी बेसन लड्डू (वनस्पति घी में निर्मित)** नमूना जाँच वास्ते लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5। भरकर देते हुऐ वयक्त की मोके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5। भरकर दीया जिस पर विक्रेता व गवाहन ने व आवेदक ने हस्ताक्षर किये। फार्म न 5ए न्याय निर्णयन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **बूंदी बेसन लड्डू (वनस्पति घी में निर्मित)** 2 किलोग्राम विक्रेता से खरीद कर एक साफ सूखे खाली बर्तन में खरीद कर लिया तथा चार बराबर भागों में बांटकर चार साफ सूखी खाली प्लास्टिक की सीसी जो मेरे पास उपलब्ध थी में भरकर नमूना जॉच वास्ते खरीद कर लिया। विकेता का मौके पर ही उक्त कयशुदा **बूंदी बेसन लड्डू (वनस्पति घी में निर्मित)** का नगद भुगतान 220 रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री साजन सचदेवा** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक **श्री साजन सचदेवा** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 1 किलोग्राम **बूंदी बेसन लड्डू (वनस्पति घी में निर्मित)** को बराबर भागों में बांटकर चार बोतलों में भरकर लिया। 4 बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेवलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–1571** दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं **के–1571** नियमानुसार चारों ननूना गागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियतानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री साजन सचदेवा** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./989/Act/2022/989 Dated 22-10-2022 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1571 Substandard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री साजन सचदेवा पुत्र श्री जुगल किशोर मैसर्स साचन सचदेवा, बस स्टेण्ड श्री गंगानगर** द्वारा अमानक स्तर **बूंदी बेसन लड्डू (वनस्पति घी में निर्मित)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 06.12.2022 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने जरिए अधिवक्ता अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी दुकान पर बेसन लड्डू बेचने का कार्य करता है। दिनांक 12.10.2022 को उक्त दुकान पर बेसल लड्डू वनस्पति घी मे निर्मित का सैम्पल लिया गया था। जिसकी जांच में बेसन लड्डू बनाने में प्रयुक्त वनस्पति घी सब–स्टैण्डर्ड पाया गया है। प्रार्थी द्वारा बाजार में उपलब्ध घी खरीदकर लड्डू बनाने में प्रयोग किया गया है जो सब– स्टैण्डर्ड पाया गया है। प्रार्थी भविष्य में घी खरीदते समय उसकी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

गुणवत्ता का ध्यान रखेगा। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर कोई गलती नहीं की गयी है। कृपया प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रकरण का आज ही निस्तारण करने की कृपा करें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **बूंदी बेसन लड्डू (वनस्पति घी में निर्मित)** का सैम्पल **K-1571** जांच रिपोर्ट क्रमांकः– L.S./989/Act/2022/989 Dated 22-10-2022 द्वारा **Substandard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्त ने जरिए अधिवक्ता अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा बाजार में उपलब्ध घी खरीदकर लड्डू बनाने में प्रयोग किया गया है जो सब– स्टैण्डर्ड पाया गया है। प्रार्थी भविष्य में घी खरीदते समय उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखेगा। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर कोई गलती नहीं की गयी है। कृपया प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रकरण का आज ही निस्तारण करने की कृपा करें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया **Sample of Boondi Besan Laddu Made in Vanaspati bearing code No. K-1571 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-Standard Food as Extracted fat does not Conform the standard of Vanaspati as prescribed in Food Safety and Standards (Food Products Standards and, Food Addiative) Regulations, 2011** की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त **श्री साजन सचदेवा पुत्र श्री जुगल किशोर मैसर्स साचन सचदेवा, बस स्टेण्ड श्री गंगानगर** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **श्री साजन सचदेवा पुत्र श्री जुगल किशोर मैसर्स साचन सचदेवा, बस स्टेण्ड श्री गंगानगर** को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 15,000–00 (अखरे रूपये पंद्रह हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रीना)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा०)
श्रीगंगानगर।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर